# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. रणजीतसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत
2. मुकनसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत
3. संतोषकंवर पुत्री किशनसिंह राजपूत
4. लक्ष्मीकंवर पुत्री किशनसिंह राजपूत
5. समझकंवर पुत्री किशनसिंह राजपूत
   निवासी भादवा तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत
2. जयसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत
3. सुरजकंवर पुत्री किशनसिंह राजपूत
4. दोलतसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह राजपूत
   निवासी भादवा तह. परबतसर
5. तहसीलदार, परबतसर
6. उप – पंजीयक परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा, बंटवारा, रेकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता वादीगण
श्री विजेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 से 4

मुकदमां नम्बर :– 2021/54

निर्णय दिनांक :– 09.11.2021

## निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 223, 224 कुल रकबा 15.29 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 65, 65/1 है जिसमें 1/2 हिस्सा किशनसिंह व उनके वारिसान का तथा 1/2 हिस्सा रामसिंह के वारिसानों का है रामसिंह के हिस्से का कोई विवाद नहीं है। उक्त भूमि वादीगण के दादा खुमानसिंह की भूमि थी खुमानसिंह के कोई वारिस नहीं होने से खुमानसिंह ने अपने भाई श्यामसिंह के पुत्र किशनसिंह को बचपन में ही गोद ले लिया था गोद सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार परिवार व समाज के व्यक्तियों की उपस्थिति में श्यामसिंह व उनकी पत्नी ने खुमानसिंह व उनकी पत्नी की गोद में किशनसिंह को बैठाया तथा समाज व परिवार के सदस्यों को गुढ़ व नारियल बांटे गये खुमानसिह ने ही किशनसिंह का पालन पोषण किया व उसकी शादी भी खुमानसिंह ने ही की थी किशनसिंह की वल्दियत सभी दस्तावेजो में शुरू से ही खुमानसिह दर्ज है जिससे भी स्पष्ट है कि किशनसिंह खुमानसिंह का गोदपुत्र है। किशनसिंह ने खुमानसिंह जी की सेवा की थी किशनसिंह ने ही आज से 32 वर्ष पूर्व 2046 में फागुन सुदी तेरस को खुमानसिंह की मृत्यु होने पर सारा क्रियाकर्म किया था हरिद्वार भी खुमानसिंह को लेकर गये थे पाग का दस्तुर भी किशनसिंह के ही किया गया था खुमानसिंह के जीवनकाल में किशनसिंह के 4 पुत्र व 4 पुत्रीयां है उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 की पैतृक भूमि है खुमानसिंह की मृत्यु होने पर उनकी पैतृक सम्पति में पुत्र, पौत्र व पौत्रीयों का बराबर – बराबर हिस्सा बनता है वादीगण सभी हिन्दु है, किशनसिंह ने सभी तथ्यों को छुपाते हुये

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
परबतसर (नागौर)

अकेले का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज करवा लिया था जबकी कानूनन 1/2 हिस्से में से किशनसिंह का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 1 रणजीतसिंह का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या मुकनसिंह का 1/9 हिस्सा, वादी 3 संतोषकंवर का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 4 लक्ष्मीकंवर का 1/9 हिस्सा, वादी संख्या 5 समझकंवर का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 सुरेन्द्रसिंह का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 जयसिंह का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुरजकंवर का 1/9 हिस्सा बनता है किशनसिंह ने इस तथ्य को छुपाते हुये हल्का पटवारी से मिलीभगत कर खुमानसिंह की भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जिसका किशनसिंह को कोई अधिकार नहीं था। उक्त विवादित आराजीयत भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है वादीगण खुमानसिंह के पौत्र व पौत्रीयां है जो खुमानसिंह के 1/2 हिस्से की भूमि में अपने अपने 1/9–1/9 हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 223, 224 कुल रकबा 15.29 हैक्टयर भूमि के 1/2 हिस्से में वादीगण का पैतृक हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा की जावे।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.07.2021 को वादीगण व प्रतिवादी 2 व 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिलस किया गया। दिनांक 14.07.2021 को वादीगण व प्रतिवादी 1, 4 राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। दिनांक 31.08.2021 को वकील वादीगण ने निवेदन किया है कि वादीगण बंटवारे की इस्तदुआ नहीं चाहते है बंटवारे की इस्तदुआ जरिये विड्रोल खारिज किये जाने का निवेदन करने पर वाद से बंटवारे की इस्तदुआ जरिये विड्रोवल खारिज किया गया। प्रतिवादी 5, 6 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वकील वादीगण ने पक्षकारो में राजीनामा हो जाने से साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

3. वादीगण के वाद पर उभय पक्षकारो के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजत अवलोकन किया गया विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

4. वादीगण ने वाद के साथ जमबान्दी सम्वत 2018–21 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 65 रकबा 64–10 बीघा भूमि खुमानसिंह वल्द रतनसिंह राजपूत सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है सम्वत 2022–2025 की जमाबन्दी में जरिये नामान्तकरण संख्या 123 खुमानसिंह के स्थान पर उनके लड़के रामसिंह , किशनसिंह के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। जमाबन्दी सम्वत 2027–2029 के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी रामसिंह, किशनसिह पि. श्यामसिंह राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा मिलना क्षेत्रफल के अनुसार ग्राम भादवा के गत खसरा नम्बर 65, 65/1 के नवीन खसरा नम्बर 223, 224 कुल रकबा 15.29 हैक्टयर भूमि कायम हुए है, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में उक्त विवादित आराजीयत की खातेदारी 1/2 हिस्सा किशनसिंह पुत्र श्यामसिंह व 1/2 हिस्से की भूमि रामसिंह के वारिसान की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण ने रामसिंह के तथा उनके वारिसान की खातेदारी में दर्ज हक हिस्से से किसी प्रकार का विवाद नहीं होना बताया है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के पैरा संख्या 7 में अंकित किया है कि किशनसिंह की मृत्यु दिनांक 24.05.2021 को हो चुकी है

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
परबतसर ( नागौर )

मृत्यु के 3 – 4 वर्ष पूर्व से ही किशनसिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति भी नहीं थी तथा आंखो से भी दिखाई नहीं देता था प्रतिवादी 1 से 4 ने मिलिभगत कर कपटपूर्वक दिनांक 02.03.2021 को किशनसिंह की खातेदारी का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली राशि के नाम पर झूठे अंगूठा निशानी करवाकर तीन दान पत्र निष्पादित करवाये है एवं दान पत्र प्रतिवादी 1 के नाम एक दान पत्र प्रतिवादी 2 के नाम व एक दान पत्र प्रतिवादी 4 के नाम निष्पादित करवाया है कानूनन किशनसिंह के हक हिस्से की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 का बहिस्सा बराबर अधिकार है। प्रतिवादीगण 1 से 4 ने राजीनामा पेश कर स्वीकार किया है कि ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 223, 224 कुल रकबा 15–29 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा किशनसिंह का था जिसमें किशनसिंह के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 प्रत्येक का 1/8 –1/8 हिस्सा बनता है तथा मौके पर इसी प्रकार 1/8 – 1/8 हिस्सा कायम कर रखा है वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है अब वादीगण व प्रतिवादी के मध्य कोई मनमुटाव भी नहीं है प्रतिवादी 1, 2 व 4 के पक्ष में दिनांक 02.03.2021 को तीन दान –पत्र निष्पादित करावाये गये जो तीनों की अवैध व शुन्य है यह तीनो दान पत्र स्वतः ही निस्तार समझे जावे राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में दिये गये खुमानसिंह का सिजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य होना प्रतीत होता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 3 किशनसिंह के वारिसान होना साबित होता है तथा उक्त विवादित आराजीयत में 1/2 हिस्से का खातेदार किशनसिंह पुत्र श्यामसिंह सम्वत 2022 से ही दर्ज रिकार्ड है, जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 3 किशनसिंह के पुत्र एवं पुत्रियां होने से किशनसिंह के 1/2 हिस्से की भूमि में बहिस्सा बराबर खातेदारी पाने के अधिकारी है। जिससे वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 223, 224 कुल रकबा 15.29 हैक्टयर भूमि में दर्ज किशनसिह पुत्र श्यामसिंह 1/2 हिस्से के का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 प्रत्येक को 1/8 – 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण व प्रतिवादी 1 से 3 का दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प भादवा में मजमें आम सुनाया गया।

09/11/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर